

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - श्री रामचन्द्र मीना

(आर.ए.एस्त.)

नम्बर  
अहम  
हुक्म  
में

10 - 101/2016

उपबान

1 देवीलाल पिता सुखदेव ब्राहमण नि० कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)

----- ( प्रार्थी )

बनाम

1. राधाकिशन पिता रामलाल ब्राहमण नि० कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
2. जगनाथ पिता रामलाल ब्राहमण नि० कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
3. रामनारायण पिता भुरा ब्राहमण नि० कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
4. रामकरण पिता भुरा ब्राहमण नि० कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
5. रामस्वरूप पिता हीरा ब्राहमण नि० कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
6. उदा पिता रामकरण ब्राहमण नि० कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
7. गीता पत्नि रामकरण ब्राहमण नि० कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
8. बी०ओ०बी० शाखा डाबला जरिये मेनेजर बी०ओ०बी० शाखा डाबला तहसील बनेडा जिला-भीलवाड़ा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाड़ा

----- ( अप्रार्थीगण )

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 रा०भू०अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक - 27.12.2016

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 रा०भू०राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 06.12.2016 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम कासोरिया पटवार मण्डल कासोरिया भू०अ०नि० डाबला तहसील बनेडा मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 185 के आ०न० 297/2, 298/3 कुल किता 02 कुल रकबा 01-00 बीघा एवं खतौनी संख्या 184 के आराजी संख्या 269 रकबा 03-10 बीघा स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय मे दिनांक 06.12.2016 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कासोरिया पटवार मण्डल कासोरिया भू०अ०नि० डाबला तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी खातेदारी की भूमि खाता संख्या 185 के आ०न० 297/2, 298/3 कुल किता 02 कुल रकबा 01-00 बीघा एवं खतौनी संख्या 184 के आराजी संख्या 269 रकबा 03-10 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक डाबला को 500/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।